

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

कार्यालय आदेश.....28...../2026

सं०सं० अ०नि० (02) 06/2026/नि०सं०

श्रीमती अंजलि मित, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, पटना को वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19.01.2015 द्वारा यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के प्रावधानों के आलोक में दिनांक 02.02.2026 से 02.05.2026 तक कुल 90 (नब्बे) दिनों का शिशु देखभाल हेतु शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती अंजलि मित द्वारा उक्त दिनों का शिशु देखभाल अवकाश उपभोग करने के पश्चात् इनका कुल  $730-90 = 640$  दिन शिशु देखभाल अवकाश शेष संचित है।

3. इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

28.1.26  
उप सचिव

अभियोजन निदेशालय  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 06/2026/नि०सं०.....247

दिनांक .....28/1/26

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना/मुख्य अभियोजक, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती अंजलि मित, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.1.26  
उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 06/2026/नि०सं०.....247

दिनांक .....28/1/26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28.1.26  
उप सचिव।

अक्षय